

### कार्यालय आदेश

विभागीय समीक्षात्मक बैठक के दौरान जानकारी में आया है कि नगरीय निकायों द्वारा " इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना " के तहत करवाये जा रहे कार्यों के पूर्व एवं पश्चात् के फोटोग्राफ पोर्टल पर सही अपलोड नहीं किये जा रहे हैं। उक्त योजना राजस्थान सरकार की फ्लेगशिप योजना है। राज्य सरकार द्वारा निकाय स्तर पर इस तरह की लापरवाही को अत्यन्त गंभीरता से लिया गया है।

अतः समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किया जाता है कि इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत करवाये जा रहे समस्त कार्यों के पूर्व व पश्चात् के एक ही एंगल से अच्छी गुणवत्ता के फोटोग्राफ खींच कर पोर्टल पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(हृदेश कुमार शर्मा)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:एफ.55(क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/3400-3639

दिनांक: - 03/03/2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर, राजस्थान।
3. परियोजना निदेशक (IRGY), निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर, राजस्थान।
4. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
5. आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।
6. सुरक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (IRGY-U)